

अध्याय VI

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता

6.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण किसी सत्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह जोखिम का समाधान करती है और सत्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- जवाबदेही का दायित्व निभाना;
- लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।⁷

6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने नौ मामले देखे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। हमने ₹ 15.47 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले नौ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से इन अभ्युक्तियों को मंत्रालय को सूचित किया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 14.98 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के आठ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) जिनमें से ₹ 2.10 करोड़ वसूल किए गए हैं। उपरोक्त आठ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से तीन मामलों में मंत्रालय/विभाग ने ₹ 0.40 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सुधारात्मक कार्रवाई शुरू/पूरी की थी। हमने परिशिष्ट III में इन तीन पैराग्राफों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। आपत्ति को दो मुख्य शीर्षों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य मामलों के अन्तर्गत क्वार किया गया है।

6.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक है, जो निर्धारित नियम और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा जोखिम मापदण्डों

⁷ इनटोसाई जीओवी 9100/सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड हेतु दिशानिर्देश

के आधार पर, निर्धारिती इकाईयों के चयन सहित, निर्धारिती के दस्तावेजों की संवीक्षा द्वारा निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नियमों के अंतर्गत निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे अभिलेख तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त है। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बैंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात इकाईयों सहित आयुक्तालय (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, निरीक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी आयुक्तालयों में एक लेखापरीक्षा सैल होता है जो सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होता है और अपर/संयुक्त आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं तथा यह सैल लेखापरीक्षा योजना को तैयार करता है, समन्वय स्थापित करता है और उस पर निगरानी रखता है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं, द्वारा यह लेखापरीक्षा की जाती है।

हमने आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा पहले से लेखापरीक्षित कुछ निर्धारित अभिलेखों को सत्यापन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा की गई वास्तविक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर आश्वासन प्राप्त करना चाहा। हमें निर्धारिती की चूकों का आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा पता न चलने के कुछ मामलों का पता चला। कुछ मामलों को निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

6.3.1 सामान्य इनपुट सेवाओं पर सेनेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति का पता न चलना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल 2008 के अनुबंध (ई) के अनुसार लेखापरीक्षकों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अल्प मूल्यांकन को खोजने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कोई संबंधित पार्टी लेन-देन, ग्रुप कम्पनियों/संबंधित पार्टियों को उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के हस्तांतरण के रूप में किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल का कीमत निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के उपबंध के साथ पठित नियम 8 बताता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा

बेचा नहीं जाता बल्कि दूसरी वस्तुओं के विनिर्माण में इसके द्वारा या निर्धारिती के संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसे माल का निर्धारण मूल्य माल की उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया था (13 फरवरी 2003) कि आंतरिक खपत किए गए माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानदण्ड (सीएएस-4) पद्धति के अनुसार ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

बेलापुर आयुक्तालय में सीईटीए, 1985 के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले माल के विनिर्माण में लगे मै. सविता औंयल टैक्नोलॉजिज लिमिटेड ने सीएएस-4 के अन्तर्गत मूल्यनिर्धारण को अपनाकर म्हापे में स्थित अपनी सहायक इकाई को 2011-12 की अवधि दौरान ₹ 31.00 करोड़ मूल्य की निकासियां की थीं। तथापि, निर्धारिती ने 10 प्रतिशत की बजाय लागत के 30 प्रतिशत को जोड़कर मूल्य को बढ़ा दिया था। निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया था। इस प्रकार, माल के मूल्य में ₹ 4.77 करोड़ का अधिक निर्धारण और निर्धारणीय मूल्य को बढ़ाने और इसकी दूसरी यूनिटों को अधिशेष अप्रयुक्त क्रेडिट को हस्तांतरित करने के लिए ₹ 49.12 लाख के शुल्क का अधिक भुगतान था। कथित नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में लागत के अनियमित अंगीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती और सहायक इकाईयों के बीच ₹ 49.12 लाख के क्रेडिट का अधिक उपयोग और हस्तांतरण हुआ।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (मार्च 2013) आयुक्तालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और सूचना दी (जून 2014) कि मामले को संयुक्त निदेशक (लागत) को सौंप दिया गया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.3.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अनुपालन का पता न चलना।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार छूटप्राप्त माल या सेवाओं के साथ-साथ शुल्क हेतु प्रभार्य विनिर्मित माल के अंतिम उत्पादों के विनिर्माता इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, खपत और सूची के लिए अलग लेखों का अनुरक्षण करेंगे और केवल इनपुट या इनपुट सेवा की उस मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट लेंगे जो शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में या आउटपुट सेवा जिस पर सेवाकर देय है, को उपलब्ध कराने में उपयोग के लिए अभीष्ट है। नियम 6(3) में बताया गया कि अलग लेखा का अनुरक्षण न करने वाले विनिर्माता या तो छूट प्राप्त माल और सेवाओं के मूल्य के पांच

प्रतिशत (6 जुलाई 2009 तक 6 प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेंगे या उप नियम 6 (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2011 के खण्ड 2(iii) के अन्तर्गत व्याख्या के अनुसार छूट दी गई सेवाओं में ट्रेडिंग शामिल है।

कोचीन आयुक्तालय में मै. एफसीआई ओर्डरेन कनेक्टर्स लिमिटेड विनिर्माण कार्यकलाप के अतिरिक्त माल का व्यापार कर रही थी। यद्यपि निर्धारिती सेनेवेट क्रेडिट के माध्यम से शुल्क देयता की अदायगी कर रहा था और इनपुट और इनपुट सेवाओं का क्रेडिट प्राप्त कर रहा था तथापि इनपुट और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति, निर्गम और वस्तु सूची के लिए कोई पृथक लेखा नहीं बनाए थे। अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान अलग लेखा का अनुरक्षण ना करने के कारण नियम 6(3) के अनुसार ₹ 42.77 लाख की राशि या व्यापार कार्यकलापों में शामिल आनुपातिक क्रेडिट के बराबर राशि देय थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अक्टूबर 2012) तब विभाग ने सूचना दी (मार्च 2014) कि निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के लिए नियम 6(3) के अन्तर्गत देय राशि के प्रति ₹ 1.03 करोड़ के क्रेडिट को वापस कर दिया था और 4 जनवरी 2013 को ₹ 21.61 लाख तथा 8 अप्रैल 2013 को ₹ 0.56 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)

हमने देखा कि हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा उपरोक्त सभी मामलों में आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा की गई थी तथापि सीईआरए द्वारा बताए जाने तक चूक का पता नहीं लगाया जा सका था।

6.4 अन्य मामले

6.4.1 अपवंचन रोधी और निवारक इकाई की अप्रभावी कार्यप्रणाली

कर आधार को बढ़ाकर कर राजस्व को बढ़ाना किसी कर प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में चिह्नित मुख्य निष्पादन क्षेत्रों में से अपवंचन रोधी एक हैं। विभाग की अपवंचन रोधी और निवारक शाखा वैयक्तिक निर्धारितियों के शुल्क भुगतान अभिलेखों का गोपनीय ट्रैक रखकर, गुप्तचरों को तैनात करके, बाजार और अन्य स्रोतों के माध्यम से सूचना संगृहित करके, कारखानों पर औचक दौरा करके, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, शुल्क के अपवंचन के बारे में आसूचना के संग्रहण और अपवंचन के लिए किसी प्रयास को विफल करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु जिम्मेदार है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीईटीए) 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में शामिल उत्पादन या विनिर्माण या उत्पादन की किसी प्रक्रिया या किसी विशेष माल के विनिर्माण में शामिल कोई निर्धारित व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत कराएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 25(सी) के अनुसार कोई उत्पादक, विनिर्माता, वेयर हाऊस का पंजीकृत व्यक्ति या अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपेक्षित पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण, उत्पादन या संग्रहण में लिप्त पंजीकृत डीलर शास्ति के लिए दायी होगा जोकि उत्पाद शुल्क योग्य माल पर शुल्क या दो हजारा रूपए, जो भी अधिक है, से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने कोजीकोड़ जिला में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय में दर्ज बिक्री कर/वेट विवरणियों से सीईटीए के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले औषधियों के विनिर्माताओं से संबंधित जानकारी एकत्र की और देखा कि कालीकट आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले दो प्रमुख विनिर्माताओं अर्थात् सिद्धसमाजम सिवनंदा विजयम औषधशाला और केरल आयुर्वेदिक कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी ₹ 150 लाख की लघु उद्योग छूट सीमा पार करने के बाद भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में ना तो पंजीकृत थी और ना ही ₹ 90 लाख की लघु उद्योग छूट सीमा पार करने के बाद कोई घोषणा प्रस्तुत की थी जोकि लघु उद्योग इकाई के लिए अनिवार्य है। आयुक्तालय इस तथ्य के बावजूद कि केरल राज्य वैकल्पिक चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रख्यात है, अपने निवारक और अन्य विंगों के माध्यम से इन मामलों का पता लगाने में विफल रहा।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (मई 2013) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और सूचना दी कि ₹ 8.73 लाख के ब्याज और ₹ 6.03 लाख की शास्ति सहित ₹ 29.84 लाख की वसूली मै. सिद्धसमाजम से कर ली गई और मै. केरल आयुर्वेदिक कॉ. ऑपरेटिव सॉसायटी को एसीएन जारी करना प्रक्रियाधीन था।

6.4.2 देयताओं की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई का अभाव

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार एक माह के दौरान फैक्ट्री से हटाए गए माल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान आगामी माल की 5/6 तारीख तक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियम 8(4) के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को ब्याज सहित शुल्क की वसूली हेतु लागू किया जाएगा। देयताओं की वूसली

हेतु कार्रवाई के लिए अनुदेशों को दिनांक 15 दिसम्बर 1997 और 15 दिसम्बर 2003 के बोर्ड के परिपत्रों से दोहराया गया था। बोर्ड ने अपने पत्र फाइल सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के माध्यम से रेंज अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख किया और रेंज अधिकारी द्वारा चूक की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने को भी आवश्यक बनाया।

भुवनेश्वर-1 आयुक्तालय में मै. श्री मेटालिक्स लिमिटेड और मै. जय जगन्नाथ कास्टिंग्स (पी) लिमिटेड ने चूक की और इन्होंने ₹ 91.58 लाख और ₹ 52.08 लाख की कुल शुल्क देयता में से ₹ 35.16 लाख और ₹ 41.02 लाख के शुल्क का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 और 2011-12 के दौरान ₹ 56.42 लाख और ₹ 11.06 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ। तथापि, विभाग ने 'कर बकाया रिपोर्ट' में मै. श्री मेटालिक्स लिमिटेड से संबंधित अप्रदत्त राशि को शामिल करने के अलावा चूक की राशि की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। चूंकि दोनों यूनिटें अब बंद हो चुकी हैं, देयताओं की वसूली की सम्भावना कम है।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (फरवरी 2013) आयुक्तालय ने दोनों मामलों में कारण बताओं नोटिस के जारी होने की जानकारी दी (अक्टूबर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.4.3 उपभोक्ता कल्याण निधि में राशि का हस्तांतरण न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बी प्रतिदाय देने हेतु प्रावधान करती है यदि प्रतिदाय दावा से संबंधित शुल्क का भुगतान विनिर्माता द्वारा कर दिया गया और ऐसे शुल्क के मामले को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया हो। यदि शुल्क मामले को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया हो तब प्रतिदाय की राशि को उपभोक्ता कल्याण निधि (सीडब्ल्यूएफ) में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

बेलापुर आयुक्तालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मै. न्यू रेशमा डाइंग लिमिटेड के काफी समय से लम्बित प्रतिदाय मामले का नवम्बर 2003 में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय किया गया था और जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिदाय को निर्धारिती को उपलब्ध कराया जाए या उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराया जाए, अधिनिर्णायक अधिकरण में वापस भेजा गया था। मामले पर निर्णय सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया था जिन्होंने प्रतिदाय की राशि की सटीकता के सत्यापन के बाद प्रतिदाय की राशि को सीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरण का आदेश दिया था (फरवरी 2005)। तथापि, 4 वर्षों से अधिक समय

के बाद भी अगस्त 2009 तक उपभोक्ता कल्याण निधि में ₹ 59.53 लाख की राशि को क्रेडिट करने के लिए विभाग द्वारा कोई कर्रवाई नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2009) तब विभाग ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि ₹ 59.53 लाख की राशि को जनवरी 2014 में उपभोक्ता कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

हमने देखा कि अगस्त 2009 में सीईआरए द्वारा बताए जाने के बाद भी उपभोक्ता कल्याण निधि में राशि को हस्तांतरित करने में चार वर्षों से अधिक का विलम्ब था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)

6.4.4 सेनेट क्रेडिट के गलत उपयोग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अनियमित का भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अनुसार यदि निर्धारिती उप-नियम(1) में निर्धारित नियत तारीख से तीस दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में छूक जाता है तब सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के कथित उप-नियम (1) और उप-नियम (4) में उल्लिखित तथ्य के बावजूद निर्धारिती उस तिथि जब तक निर्धारिती इस पर ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करे, तक सेनेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना, निकासी के समय पर प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा और किसी विफलता के प्रसंग पर यह माना जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क भुगतान के बिना कर दी गई थी और इन नियमों में दिये गए परिणाम और शास्तियों का अनुसरण किया जाएगा।

पटना आयुक्तालय मै. गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड ने जून 2008 माह के लिए ₹ 74.42 लाख की कुल शुल्क देयता में से सेनेट क्रेडिट के माध्यम से ₹ 55.17 लाख का भुगतान किया और ₹ 15.09 लाख का 6 अगस्त 2008 (निर्धारित तारीख के 32 दिन बाद) को ब्याज सहित भुगतान किया था। इसके अलावा, 5 दिसम्बर 2008 को ₹ 4.14 लाख का भुगतान किया गया था और शेष ₹ 1,493 का भुगतान ब्याज सहित निर्धारित तारीख से 1,612 दिनों के बाद 3 दिसम्बर 2012 को किया गया था। चूंकि निर्धारिती ने 30 दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में विलम्ब किया इसलिए विभाग को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 8(3ए) के अंतर्गत सेनेट क्रेडिट के उपयोग करने से निर्धारिती को प्रतिबंधित करना चाहिए था। तथापि, विभाग ने सेनेट क्रेडिट के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं

किया था और निर्धारिती ने अगस्त 2008 से मार्च 2011 के दौरान ₹ 10.65 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। सेनवेट क्रेडिट से ऐसा भुगतान नियमित और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2012) तब विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि निर्धारिती 30 दिनों से अधिक तक शुल्क के भुगतान में छूक गया था और नियम 8(3ए) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू था। निर्धारिती से शुल्क की बकाया राशि के भुगतान तक सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना प्रत्येक खेप के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। विभाग ने यह भी जोड़ा कि छूकिं शुल्क का भुगतान छूक के 1,612 दिनों के बाद ब्याज सहित कर दिया गया था इसलिए छूक अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता को उचित माना गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है और नियम 8(3ए) में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में है। निर्धारिती से छूक अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान की गई समस्त राशि, जिसे शुल्क का भुगतान नहीं माना जाना चाहिए, पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। उत्तर ने स्पष्ट नहीं किया कि इस मामले में सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता को प्रतिबंधित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)

२१३१० १०८८८

नई दिल्ली

(संजीव गोयल)

दिनांक: 20 मार्च 2015

प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

दिनांक: 21 मार्च 2015

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक